Rep. 92

(287)

By Regd. Post

From,

Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The District Judge,
Lakhimpur Kheri.

2201 212 No. 16409 /IV-2449/Admin.(A) dated 11-11-2016

Subject: Grant of Personal pay under Voluntary Family Planning Programme to Sri Vinod Kumar-III, Addl. District & Sessions Judge Lakhimpur-Kheri.

Sir,

With reference to your endorsement no. 1612/I-27-16 dated 22.09.16 forwarding therewith application of Sri Vinod Kumar-III, Addl. District & Sessions Judge, Lakhimpur-Kheri, on the above subject, I am sending herewith two proforma of declaration regarding grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme and request you to kindly ask Sri Vinod Kumar-III to submit the same duly filled up in all respects alongwith attested copy of certificate to be issued by the concerned Govt. Department stating therein that she is not getting any benefit/personal pay under voluntary family planning programme, if his wife is in Govt. service as well as attested copy of Birth Certificate of his sole child in support of his age proof to be issued by Competent Authority under Registration of Births & Deaths Act 1969 to this Court, so that further necessary action may be taken in this regard.

Yours Faithfully,

8/11/16

Encl.-Declaration formats(two)

Deputy Registrar(M)

214 No. 16410 /IV-2449/Admin.(A) dated 11-11-2016

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Vinod Kumar-III, Addl. District & Sessions Judge Lakhimpur-Kheri.

8/11/16

Deputy Registrar(M)

A.R. (Admin A1) / D.R. (M)

officer has not submitted declaration certificate as well as proper birth certificate of his sole child. may issue?

8/11/16

4.11.16 (ARO)

04/11/16
AR.

Sootal 7-10-16
Encl (3) page

प्रेषक,

विनोद कुमार–तृतीय,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, लखीमपुर–खीरी।
आई0डी0 नं0 5401

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा:– श्रीमान जनपद न्यायाधीश
लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक:– 26/D.B दिनांक 21-9-16

विषय– शासनादेश संख्या प0क0 4601/16–11–79–09/155/79 चिकित्सा अनुभाग-II लखनऊ दिनांकित 23 फरवरी 1980 के द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (Personal pay) स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1– उक्त सन्दर्भित विषय पर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मेरी जन्मतिथि 15.10.1964 तथा मेरी पत्नी श्रीमती पूनम दूबे की जन्मतिथि 01.01.1966 तथा मेरे एक मात्र सन्तान पुत्र राहुल दूबे की जन्मतिथि 02.06.1993 है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त प्रमाण के रूप में मेरी पत्नी के आधार कार्ड की छायाप्रति इस आवेदन पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक–1 एवं मेरे पुत्र राहुल दूबे के पैन कार्ड की छायाप्रति अनुलग्नक–2 है। उक्त आधार पर मेरी उम्र इस समय लगभग 51 वर्ष से अधिक तथा इस समय मेरी पत्नी की उम्र लगभग 50 वर्ष से अधिक तथा मेरे एक मात्र सन्तान मेरे पुत्र की उम्र इस समय लगभग 23 वर्ष है तथा मैंने अपना परिवार स्वैच्छिक रूप से एक बच्चे तक ही सीमित रखा है।

2– उत्तर प्रदेश सरकार के उक्त शासनादेश संख्या प0क0 4601/16–11–79–09/155/79 चिकित्सा अनुभाग–II लखनऊ दिनांकित 23 फरवरी 1980 के द्वारा उक्त श्रेणी के सरकारी सेवक को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन हेतु एक वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (Personal pay) स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3– उक्त सन्दर्भित शासनादेश के शर्तों के सम्बन्ध में निवेदन के साथ यह भी अवगत कराना है कि जहॉ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है आज की तिथि तक मेरे विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है एवं न ही ऐसी कार्यवाहियों के अपेक्षानुसार मुझे कभी निलम्बित ही किया गया है एवं न ही मेरी कोई

21.09.2016

30 SEP 2016

S.O. (Admn-H/A)
I/c. D.R.(M) 6.10.16

DR(M)
Regr(B)

18245
IV/2449
27-10-16
2-11-16

वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति ही दी गयी है।

4– उक्त सन्दर्भित शासनादेश के शर्तों के सम्बन्ध में निवेदन के साथ यह भी अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में वर्णित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध) नियमावली के कथित नियम 12 के अधीन या उक्त शासनादेश में वर्णित सुविधा के तहत मुझे पूर्व में आज की तिथि तक उक्त वर्णित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है।

5– अतएव उक्त परिस्थितियों में श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त वर्णित शासनादेश के तहत मुझे स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत एक वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का मेरा वैयक्तिक वेतन (Personal pay) स्वीकृत करने हेतु मेरा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

21.09.2016

दिनांकः 21.09.2016

(विनोद कुमार–तृतीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, लखीमपुर–खीरी।
आई0डी0 नं0 5401

संलग्नकः–
1. पत्नी श्रीमती पूनम दूबे के आधार कार्ड की छायाप्रति– 01 पन्ना।
2. पुत्र राहुल दूबे के पैन कार्ड की छायाप्रति– 01 पन्ना।
3. सुलभ सन्दर्भ हेतु यथोक्त शासनादेश की प्रति– 01 पन्ना।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी

संख्या 1612 / I-27-16 दिनाँक 22-09-2016

अग्रसारित

जिला न्यायाधीश
लखीमपुर-खीरी।
22-09-16

(284) अनुलग्नक-1

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Poonam Dubey
DOB: 01/01/1966
Female / FEMALE

3624 8399 0805

Aadhaar-Aam Aadmi ka Adhikar

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

AADHAAR

Address:
W/O: Vinod Kumar Dubey, 3/228
viraj khand, Gomtinagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226010

3624 8399 0805

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

(283)

अनुलग्नक-2

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAHUL DUBEY

VINOD KUMAR DUBEY

02/06/1993

Permanent Account Number

BNNPD6637H

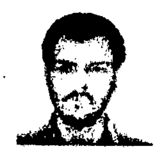

16072015

Signature

अनुलग्नक-3-

Rep. 92

93/68

संख्या [illegible]/18-11-79-9/155/79

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 1980

विषय :- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव कुछ समय से शासन के विचाराधीन था । विचारोपरान्त [illegible] राज्यपाल महोदय ने आदेश दिए हैं कि ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबंदी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी सेवक, जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(23)(बी) के अन्तर्गत उसकी अगली देय वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (Personal-Pay) स्वीकृत किया जाय, जो भविष्य में उसी पद पर या [illegible] पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा । उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके हैं, उन्हें भी अन्तिम बार ली गई वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि

(281)

वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जाएगा, जो पूरे सेवाकाल तक मिलता रहेगा। उक्त आदेश दिनाँक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो या जो ऐसी कार्यवाहियों के अनुसार निलम्बित किया गया हो या जिसे वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति दी गई हो।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष [illegible]) नियमावली 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन-वृद्धि का लाभ मिल चुका है, उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी।

3- इस सम्बन्ध में जो व्यय होगा, वह उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जाएगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी अपना वेतन ग्रहण करता है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ए-2-217/दस-80, दिनाँक 21 [illegible] 1980 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
उप सचिव।

संख्या प०क०4601(1)/16-11-79-8/155/79 तद्दिनाँकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3- श्री राज्यपाल के सचिव।
4- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5- सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) नई दिल्ली।
6- स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
उप सचिव।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:38:09 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad